IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

तीसरी पहचान- संघर्ष स्वीकृति और नवजीवन

Dr Simi S Kurup

Assistant Professor (On Contract)

St Berchmans College Changanassery

ट्रांसजेंडर : परिभाषा

ट्रांसजेंडर उसे कहते हैं जिनकी लैंगिक पहचान उनके जन्म के समय पुरुष या स्त्रीलिंग से मेल नहीं खाती।इनके लिए अलग-अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भारत में इनके लिए हिजड़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है। फारसी शब्द' हिज़्र 'से हिजड़ा शब्द की उत्पत्ति हुई है ,जिसका अर्थ है प्रस्थान करना या छोड़ देना। कुछ विद्‌वान मानते हैं कि हिजड़ा शब्द की उत्पत्ति' हिनस्ति' या 'हिज्र 'संस्कृत शब्दों से भी हो सकता है, इसका अर्थ है ' वंचित करना' या 'हीन करना'। इससे हिजड़ा शब्द का आशय हो सकता है, पुरुषत्व या स्त्रीत्व से हीना या वंचित। उर्दू में भी हिजड़ा शब्द का प्रयोग ट्रांसजेंडर के लिए किया जाता है। फारसी,संस्कृत, हिंदी आदि कई स्रोतों से हिजड़ा शब्द की उत्पत्ति माने जाते हैं। आज उनके लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग प्रायः किया जा रहा है जैसे ट्रांसजेंडर ,थर्ड जेंडर,किन्नर आदि।

ट्रांसजेंडर समुदाय: एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण

1. प्राचीन भारत में-

१. ट्रांसजेंडर का पहला उदाहरण महाभारत के शिखंडी है जो पुरुष रूप में जन्मी थी लेकिन स्वयं को स्त्री मानते थे।

२. भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप जिसे सब लोग आराधना करते हैं,भगवान विष्णु का मोहिनी रूप धारण करना आदि इसी बात का प्रतीक है कि दैवी रूप में भी इस विविधता को स्वीकारा गया है।

३. अज्ञातवास के समय अर्जुन ने स्त्री रूप में बृहंतला नाम स्वीकार करके नृत्य आचार्या बनकर राजा विराट के महल में रहा था ।

2. मुगल काल में हिजड़ों की स्थिति-

मुगल दरबार में हिजड़ों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। रानियों के महल की जिम्मेदारी इन्हें ही सौंप दिया जाता था। वह पुरुष न होते थे, लेकिन शक्तिशाली होते थे ।इसलिए जनाना महलों का संरक्षण इनकी जिम्मेदारी थी। अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी इन्हें सौंप दिया जाता था। बाबर ,हुमायूं ,अकबर ,और शाहजहां आदि के दरबार में इन्हें उच्च पद प्राप्त थे। वे सम्राटों के विश्वास पात्र होते थे।

.

अकबर के शासनकाल में इन्हें 'ख्वाजा सरा' या 'खास हिजड़ा' आदि सम्मानजनक पदों से पुकारा जाता था। अकबर ने उन्हें जमीन दी और प्रशासनिक कार्यों में भी स्थान दिया। 'दरबार-ए- खास'और 'महल सराय' आदि उच्च पदों पर भी उन्होंने हिजड़ों को नियुक्त किया। मुगल इतिहास में 'ख्वाज सरा' शब्द का प्रयोग सम्मानजनक रूप में किया जाता था। इन्हें विशेष अवसर पर वस्त्र, आभूषण, उपहार आदि से सम्मानित करते थे और राज्य कोष से इन्हें वेतन दिया जाता था।

निष्कर्ष :

मुगल साम्राज्य के अंत के साथ-साथ हिजड़ों की स्थिति बदल गई। उन्हें राजनीति तथा समाज में जो सम्मान मिला था वह नष्ट हो गई ।अंग्रेजों के आगमन के साथ हिजड़ों को 'क्रिमिनल ट्राइब्स' की श्रेणी में डाल दिया और सामाजिक बहिष्कार शुरू हुआ ।

हिजड़ा समदुाय: आधुनिक चुनौतियां

1.सामाजिक चुनौतियां:-

१.इनके लैंगिक पहचान को समाज में स्वीकृति नहीं मिलती।

२. घर से ही लेकर तिरस्कार का सामना करना पड़ता है।

३.शुभ अवसरों से इन्हें बहिष्कृत किया जाता है।

४.स्कूल और कालेजों में इन्हें मानसिक प्रताड़ना का अनुभव करना पड़ता है।

५.प्राय: इन्हें काम देने में कंपनियां मना करते हैं।

६.उचित शिक्षा और नौकरी के अभाव में इन्हें यौन कार्य की ओर मजबूरन मुड़ना पड़ता है।

७.कभी-कभी घरवाले ही इन्हें आगे पढ़ाना नहीं चाहता।

2.कानूनी चुनौतियां:-

१. आधार कार्ड,पान कार्ड आदि में नाम बदलवाने में इन्हें कठिनाई होती है।

२.न्याय व्यवस्था में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ संवेदनशील व्यवहार की कमी है।

3.पारिवारिक चुनौतियां:-

१.अपने घर मैं रहना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। घर वालों के लिए उनकी उपस्थिति बहुत सी मुसीबतें पैदा करते हैं।

२. इनको किराए पर घर मिलना मुश्किल है। मजबूरन इन्हें हिजड़ों की बस्ती में ही शरण लेना पड़ता है, जहां ज्यादातर लोग यौन कर्म को ही जीवन यापन का मार्ग चुनते हैं ।शादी ,बच्चों का जन्म आदि शुभ अवसर पर ही हिजड़ों को बुलाया जाता है। पढ़ा- लिखा होने पर भी इन्हें काम देने के लिए लोग हिचकते हैं। इसलिए ही इन्हें मजबूरन यौन वृत्ति की ओर मुड़ना पड़ता है।

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कानूनी व्यवस्था

नालसा बनाम भारत सरकार (NALSA v. Union of India) {राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) NALSA- NATIONAL LEGAL SERVICE AUTHORITY} ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ। इस नियम के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कानूनी मान्यता प्रदान किया गया।

केस का नाम है:-

National legal service authority (Nalsa)v. union of India and others

(निर्णय तिथि 15 अप्रैल 2014)

न्याय मूर्ति:- के .एस राधाकृष्णन और सीकरी।

याचिका कर्ता

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) (National legal service authority) एक वैधानिक संस्था है, जिसने ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों के लिए यह याचिका दायर की थी।

प्रमुख मांगे

१. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वतंत्र थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दिया जाए।

२. उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की सुरक्षा मिले।

३. सामाजिक ,आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में उन्हें समान अवसर दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निर्णय:-

कोर्ट ने कहा था ट्रांसजेंडर भारतीय संविधान के तहत एक स्वतंत्र लैंगिक पहचान रखते हैं और उन्हें पुरुष या स्त्री के अलावा तीसरे लिंग के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए।

१. संवैधानिक अधिकारों की पुष्टि

ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार)अनुच्छेद 15 और 16 (लैंगिक भेदभाव पर रोक) अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21(जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत पूर्ण अधिकार रखते हैं।

२. आत्म पहचान का अधिकार

कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी लैंगिक पहचान स्वयं तय करने का अधिकार रखता है, चाहे वह पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के रूप में हो।

३. आरक्षण और कल्याण योजनाएं

कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार में पिछड़ा वर्ग (OBC) के तहत आरक्षण और अन्य लाभ दिए जाएं।

४. स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा

ट्रांसजेंडर लोगों के लिए समर्पित सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाना आवश्यक है।

इस नियम के तहत केरल ,तमिलनाडु जैसे कई जगहों ने ट्रांसजेंडर कल्याण नीति लागू किया और कानूनी रूप में इनको सम्मान और पहचान मिलने लगी।

केरल में ट्रांसजेंडर जीवन

केरल भारत के कुछ राज्यों में एक है जहां ट्रांसजेंडर समुदाय की बेहतरी के लिए ठोस सरकारी प्रयास किए गए हैं।

राज्य की पहले

१.2015 में केरल सरकार ने भारत की पहली ट्रांसजेंडर पॉलिसी लागू की जिसमें पहचान,शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी जैसे मुद्दों पर कार्य योजना प्रस्तुत की गई।

२. राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की योजना शुरू की ।

३. ट्रांसजेंडर ID कार्ड पहली बार केरल में आसानी से उपलब्ध कराया गया।

शिक्षा और सशक्तिकरण

केरल में कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों में इन्हें नामांकन में सहायता दी गई है।

'कोशिकोड' और 'एर्नाकुलम' में ट्रांसजेंडर छात्रावास शुरू किए गए।

कुछ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने छोटे व्यवसाय ,ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट आदि खोले है जो पूरी तरह ट्रांसजेंडर द्वारा ही संचालित है।

कौशल विकास योजना में राज्य सरकार ने इन्हें शामिल किया है।

केरल के सरकारी अस्पतालों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए हेल्प डेस्क शुरू की गई है।

लिंग परिवर्तन सर्जरी (Gender re-assignment surgery) के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

निष्कर्ष:

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को अब भी कई तरह के चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है । लेकिन कानूनी सुधार और सामाजिक जागरूकता की प्रक्रिया तेज हो रही है ।विशेष रूप से केरल ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि कैसे राज्य स्तर पर नीतिगत निर्णयों से ट्रांसजेंडर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।